IV 14/17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 436081

भारत शिक्षा ट्रस्ट

ट्रस्ट विलेख (INSTRUMENT OF TRUST)

यह ट्रस्ट विलेख आज दिनांक 25.03.2017 को चन्दौली में श्री विनय कुमार वर्मा पुत्र श्री बनारसी वर्मा निवासी चन्धासी, वार्ड नं0 12, मुगलसराय, जिला-चंदौली द्वारा किया गया, जिन्हें आगे ट्रस्ट कर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि ट्रस्ट कर्ता/संस्थापक पर रु0 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की धनराशि है, जिसे कि वह पुण्यार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। ट्रस्ट कर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय ट्रस्ट बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। यह ट्रस्ट "भारत शिक्षा ट्रस्ट" के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

ट्रस्ट कर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से जिनमें दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं आमदनी को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

और क्योंकि ट्रस्ट कर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रु0 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट को पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय चन्धासी, मुगलसराय चंदौली रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि ट्रस्ट कर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारावद्ध एवं घोषित किया जाता है।

क्रमशः.....2

IV 14/17

स्टाम्प विक्रय की तिथि 23/03/17 क्रमांक 1421

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Agt

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shiksha trust, Viny Kumar Verma, chandesi mughalsarai chandi

स्टाम्प की धन राशि 50/-

कौशी नरेश गुप्ता

स्टाम्प ला० नं०-110 अवधि - 2016-19

विक्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 436082

(02)

भारत शिक्षा ट्रस्ट

उद्देश्य एवं नियमावली

1. ट्रस्ट के उद्देश्य

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा -

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित स्वीकृत करा सकना।
2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
3. नागरिकों विशेषकर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन/आवास/सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।
5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएं लेना।
6. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, संपादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

क्रमशः.....3

स्टाम्प विक्रय की तिथि 23/03/17 क्रमांक 14217
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Aft
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shiksha trust, Vinay kumar Varma chandasi mughalsarai chand
स्टाम्प की धन राशि 50/-

काशी नरेश गुप्ता
स्टाम्प ला0 नं0-110 अवधि - 2016-19
विक्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, च०

न्यास पत्र

10,000.00	200.00	80	280.00	28
	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

न्यास का गठन
श्री विनय कुमार वर्मा / आकार्ड
पुत्र श्री बनारसी वर्मा
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी चन्धासी वार्ड नं0 12 मुगलसराय जिला चन्दौली
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/3/2017 समय 1:50PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के0 के0 तिवारी
उप निबन्धक,चन्दौली
चन्दौली
25/3/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री विनय कुमार वर्मा / आकार्ड
पुत्र श्री बनारसी वर्मा
पेशा व्यापार
निवासी चन्धासी वार्ड नं0 12 मुगलसराय जिला चन्दौली

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान अशोक कुमार पटेल/ आकार्ड
पुत्र श्री फुल्लन सिंह
पेशा व्यापार
निवासी फुलहीपुर जिला चन्दौली
व दीपक निषाद / आकार्ड
पुत्र श्री बनारसी लाल
पेशा व्यापार
निवासी किरहिया जिला वाराणसी
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के0 के0 तिवारी
उप निबन्धक,चन्दौली
चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   BG 436083

7. विभिन्न वार्षिक, छमाही, त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक अथवा प्रतिदिन का अखबार, ..., बुलेटिन, स्मारिका, न्यूज़ लेटर प्रकाशन करना।
8. स्ट्रीट चाइल्ड, ड्राप आउट चाइल्ड के शिक्षा और पुनर्वास की योजना बनाना और संचालित करना।
9. राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजनाओं का संचालन व हर स्तर पर कौ... विकास केन्द्र स्थापित करना।
10. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।
11. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियाँ, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षायें, छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
12. शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य कर सकना।
13. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, जिमखाना आदि की शिक्षा कर सकना।
14. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्ण रखने हेतु सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई., यू.पी. बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नृत्य व संगीत विद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, आई.टी.आई., पुस्तकालय, फार्मेसी, फिजियोथिरेपी, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, हीलिंग, प्राणायाम योग आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लैब टेक्नीशियन, सम्बद्ध, प्रबन्ध आदि कर सकना।
15. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।

क्रमशः.....4

स्टाम्प विक्रय की तिथि 23/03/17 क्रमांक 14218
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Rent
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shiksha trust, Vinay kumar Verma, Chandauli Mughalsarai Chand—
स्टाम्प की धन राशि 50/-

काशी नरेश गुप्ता
ख्यासी
स्टाम्प ला० नं०-110 अवधि - 2016-19
[वि]क्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

Reg[istration No.] : 14 Book No. : 4

0101 [वि]नय कुमार [श]र्मा / आकार्ड

बनारसी वर्मा

[म]नाताली वार्ड नं0 12 मुगलसराय जिला चन्दौली

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 436084

16. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
17. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
18. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
19. कृषि उपयोग कार्या कर सकना एवं उसका प्रचार-प्रसार कर सकना।
20. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
21. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना।
22. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्रीत कर सकना।
23. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
24. पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सम्बंधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
25. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
26. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
27. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
28. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिह्न आदि प्रदान कर सकना।

क्रमशः.....5

स्टाम्प विक्रय की तिथि 23/03/17 क्रमांक 14219

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Agmt

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shikha trust. Vijay kumar Verma, chandauli mughalsarai chan...

स्टाम्प की धन राशि 50/-

काशी नरेश गुप्ता

स्टाम्प लाइ0 नं0-110 अवधि - 2016-19

गवाह

विक्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

Registration No.: 14 Year : 2017 Book No. : 4

W1 अशोक कुमार पटेल/ आकार्ड अशोक कुमार पटेल

मुन्नन सिंह

दुल्हीपुर जिला चन्दौली

व्यापार

W2 दीपक निषाद / आकार्ड Deepak

बनारसी लाल

सिरहिया जिला वाराणसी

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 436085

(05)

29. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/विधि महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, के विशेषधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को ट्रस्ट में समाजित करने की अच्छुक हो तो उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, ट्रस्टियों एवं ट्रस्ट मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति को ट्रस्ट में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था ट्रस्ट की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।

30. दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम संचालन कर सकेगा।

31. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना, उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

32. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।

33. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा एवं बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन, विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।

34. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेत ही व्यय करेगा।

35. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं का संचालन करना।

36. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहाय एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों, अनु० जातियों, अनु० जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशासित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थायें, महिला कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी भी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।

क्रमशः.....6

स्टाम्प विक्रय की तिथि 23/05/17 क्रमांक 14220
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Art
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shiksha trust, Vinay kumar Verma chandasi mughalsarai chandauli
स्टाम्प की धन राशि 50/-

काशी नरेश गुप्ता
स्टाम्प ला0 नं0-110 अवधि - 2016-19
विक्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (06) BG 436086

37. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।

38. कृषकों/ग्रामीणों को फूल एवं औषधीय खेतो के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल को आयात व निर्यात करना।

39. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक का निर्माण करना।

2. **प्रारम्भिक उपबन्ध**

1. वर्तमान ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से विनय कुमार वर्मा को ट्रस्टकर्ता एवं इस ट्रस्ट विलेख के रचयिता (Author of Deed) भी हैं, को इस ट्रस्ट की मैनेजिंग, ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है तथा श्री बनारसी वर्मा पुत्र स्व. कपूरचंद सेठ, श्रीमती मंजू वर्मा पत्नी श्री विनय कुमार वर्मा, श्री सुशील कुमार वर्मा पुत्र श्री विनय कुमार वर्मा, श्री सत्यम कुमार वर्मा पुत्र श्री विनय कुमार वर्मा, सृष्टि कुमारी पुत्री श्री विनय कुमार वर्मा को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।

2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी जीवन काल में जब चाहे अपना उत्तरदायित्व ट्रस्टियों में से किसी एक ट्रस्टी को बहुमत के आधार पर स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3. किसी भी नये ट्रस्टियों के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को रु. 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा, जिसे ट्रस्टियों के समक्ष रखा जायेगा। ट्रस्टियों द्वारा 3/4 बहुमत से स्वीकृत होने पर ही उसे ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। किन्हीं कारणों से ट्रस्टी न बनाये जाने की स्थिति मे आवेदक की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

4. किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट से पद मुक्ति करने की शर्तें निम्न हैं - मृत्यु, ट्रस्ट विरूद्ध कार्यों में संलिप्तता पाये जाने, किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षों या इससे अधिक सजा दिये जाने पर दिवालिया होने पर, पागल होने पर व्यभिचारी होने पर, त्याग पत्र देने पर, पद मुक्ति/निष्कासित किया जा सकता है।

क्रमशः.....7

स्टाम्प विक्रय की तिथि 23/03/17 क्रमांक 14221
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Agmt
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shikha trust Vinay Kumar Varma Chandauli Mughalsarai Chandauli
स्टाम्प की धन राशि 50/-

(signature)
काशी नरेश गुप्ता
स्टाम्प ला0 नं0-110 अवधि - 2016-19
विक्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(07)

BG 436087

3. मैनेजिंग ट्रस्टी पद का हस्तान्तरण :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी की व्यवस्था कर दे।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी में ही मैनेजिंग ट्रस्टी का पद ट्रस्टियों में किसी को प्रदान कर सकता है।

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी का प्रदत्त किये गये हैं।

4. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय तो विनय कुमार वर्मा के मृत्यु के पश्चात ही श्री बनारसी वर्मा पुत्र स्व. कपूरचंद सेठ, श्रीमती मंजू वर्मा पत्नी श्री विनय कुमार वर्मा, श्री सुशील कुमार वर्मा पुत्र श्री विनय कुमार वर्मा, श्री सत्यम कुमार वर्मा पुत्र श्री विनय कुमार वर्मा में से एक इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे। नव नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी को 6 माह के अन्दर 3/4 ट्रस्टियों का बहुमत प्राप्त करना होगा, अन्यथाकी स्थिति में किसी भी ट्रस्टी को 3/4 बहुमत के आधार पर ही मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया होंगे। श्री बनारसी वर्मा पुत्र स्व. कपूरचंद सेठ, श्रीमती मंजू वर्मा पत्नी श्री विनय कुमार वर्मा, श्री सुशील कुमार वर्मा पुत्र श्री विनय कुमार वर्मा, श्री सत्यम कुमार वर्मा पुत्र श्री विनय कुमार वर्मा में जो निर्धारित हुआ हो मैनेजिंग ट्रस्टी बने रहेंगे।

5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी लिखित रूप से हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काला में अपना

क्रमशः.....8

स्टाम्प विक्रय की तिथि 23/03/17 [illegible] 14222

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Aff

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shikha Trust, Vinay Kumar Verma chandauli mughalsarai chandauli

स्टाम्प की धन राशि 50/-

काशी नरेश गुप्ता

स्टाम्प ला0 नं0-110 अवधि - 2016-19

विक्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 436088

कार्यभारत अपने ट्रस्टियों में से किसी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निग्रय पर पुनः विचार कर सकेगा। लेकिन जब तक जीवित रहेगा, तब तक ट्रस्टी बना रहेगा। अन्य ट्रस्टी चाहें तो कभी भी पुनः उन्हें मैनेजिंग ट्रस्टी सर्वसम्मत से चुन सकते हैं।

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी तभी अपने ट्रस्टियों में से किसी का हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है। जब तब कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी,द्वारा अपने ट्रस्टियों में से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

4. <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज :-</u>

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टियों की राय/बहुमत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं करेगा।

4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....9

स्टाम्प विक्रय की तिथि 24/03/17 क्रमांक 14224

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Agmt

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shiking Forest, Viny kumar Verma, chandauli mughlsarai chandauli

स्टाम्प की धन राशि 50/-

काशी नरेश गुप्ता

स्टाम्प ला० नं०-110 अवधि - 2016-19

विक्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 436089

5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5. <u>**मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार**</u> :- मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है तो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार के तहत 5 ट्रस्टियों का चयन अपने सम्पूर्ण जीवन काल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव पर उनकी सहमति के आधार पर कर सकता है।

6. <u>**मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं**</u> :- ट्रस्ट का कार्यालय ही मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय होगा।

7. <u>**सचिव की नियुक्ति**</u> :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन, भत्ते, सुविधायें, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव , मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्टियों के बहुमत से उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता/ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

क्रमशः.....10

स्टाम्प विक्रय की तिथि 24/03/17 क्रमांक 14225
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Agt
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shiksha Trust, Vinay Kumar Verma, Chandauli Mughalsarai Chandauli
स्टाम्प की धन राशि 50/-

काशी नरेश गुप्ता
स्टाम्प लाइ0 नं0-110 अवधि - 2016-19
कार्य स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 436090

9. **उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के भत्ते, सुविधाएं, कार्य, नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किए जायेंगे।

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधित/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियों कर सकता है। अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

10. **मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-**

यह कि इस डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे।

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(घ) ट्रस्ट के समस्त आय-व्यय का हिसाब रखना व बैंक खातों का संचालन करना।

क्रमशः.....11

स्टाम्प विक्रय की तिथि 24/03/17 क्रमांक 14226
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Agmt.
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shiksha Trust, Vinay Kumar Verma, Chandauli, Mughalsarai Chand...
स्टाम्प की धन राशि 50/-

काशी नरेश गुप्ता
स्टाम्प ला० नं०-110 अवधि - 2016-19
वि..य स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 436091

11. **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-**

मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

12. **सचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-**

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के के सचिव के निम्न कर्त्तव्य एवं अधिकार हैं :-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यावाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालीन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।

क्रमशः.....12

स्टाम्प विक्रय की तिथि 24/03/17 क्रमांक 14227

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Agt

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shiksha Trust, Vinay Kumar Verma, Chandauli Mughalsarai Chandauli

स्टाम्प की धन राशि Self

काशी नरेश गुप्ता

स्टाम्प ला० नं०-110 अवधि - 2016-19

विक्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 436092

13. **उपसचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-**

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्त्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

14. **बैंक एकाउन्ट :-**

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेज़िंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचयालित कर सकता है। सामान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी व किसी एक जिसे भी मैनेजिंक ट्रस्टी चाहे ट्रस्टी का संयुक रहेगा। विशेष परिस्थिति में खाते का संचालन तीन लोग भी (ट्रस्टियों में से) संयुक्त रूप से कर सकते हैं। मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा एकल खाते का संचालन भी किया जा सकता है। यह विधि मान्य माना जायेगा। यह पूरी तरह से मैनेज़िंग ट्रस्टी के निर्णयानुसार ही तय पाना जायेगा।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता हैं अथवा संचालित किया जा सकता है।

15. **विधिक कार्यवाही :-** संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

क्रमशः.....13

स्टाम्प विक्रय की तिथि 24/03/17 क्रमांक 14228

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Agt

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shiksha trust, Vinay Kumar Verma, chandauli mughalsarai chandauli

स्टाम्प की धन राशि 50/-

काशी नरेश गुप्ता

स्टाम्प ला0 नं0-110 अवधि - 2016-19

विक्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 436093

16. **सम्पत्ति सम्बन्धी :-**

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है तो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी या अधिकृत व्यक्ति कर सकता है।

3. ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. ट्रस्ट चल/अचल सपत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है अथवा किराये पर दे सकता है, जिसका सम्पूर्ण अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी का होगा।

5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिह्न, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पति को विनियोजित कर सकता है।

7. चल/अचली सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Guarantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase) अनुज्ञप्ति (License), बन्धक (Mortage), भारित (Charge), गिरवी (Pledge), विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

17. **विशेष :-**

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट "भारत शिक्षा ट्रस्ट" के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

क्रमशः.....14

स्टाम्प विक्रय की तिथि 24/03/17 क्रमांक 14229
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन Art
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता Bharat Shiksha Trust, Vinay Kumar Verma, Chandasi Mughalsarai Chandauli
स्टाम्प की धन राशि 50
काशी नरेश गुप्ता
स्टाम्प ला0 नं0-110 अवधि - 2016-19
विक्रय स्थल : मैनाताली, मुगलसराय, चन्दौली

आज दिनांक **25/03/2017** को
बही सं **4** जिल्द सं **36**
पृष्ठ सं **233** से **260** पर क्रमांक **14**
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के0 के0 तिवारी
उप निबन्धक,चन्दौली
चन्दौली
25/3/2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (14) BG 436094

(ख) मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्रविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्रविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी।

(ग) देश या देश से बाहर के किसी भी विवाद के लिए न्यायालय क्षेत्र हमेशा चंदौली जनपद ही रहेगा।

कि "भारत शिक्षा ट्रस्ट" की उक्त ट्रस्ट विलेख (Instrument of Trust) एवं उसमें सन्निहित "भारत शिक्षा ट्रस्ट" की उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधीनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आतर्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है।

कि उक्त ट्रस्ट विलेख () को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

गवाह :-

1. नाम - अशोक कुमार पटेल
पुत्र - श्री भुल्लन सिंह
पता- दुलहीपुर, मुगलसराय, चंदौली।
मो.- 9935172611

2. नाम- दीपक निषाद राज
पुत्र - श्री बनारसी लाल
पता - बी/22/179 आर, चिरहियाँ
खोजवाँ, शिवपुर, वाराणसी
मो.- 9336416797

(विनय कुमार वर्मा)
मैनेजिंग ट्रस्टी
भारत शिक्षा ट्रस्ट
मुगलसराय, चंदौली
मो.- 9415286192

हस्ताक्षर :-
दि.- 25-3-2017 ई.

स्टाम्प विक्रय की तिथि 24/03/17 क्रमांक 14230

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ..... Agmt

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता ..... Bharat Shiksha Trust, Viresh Kumar Varma Chandauli Mughalsarai Chandauli

स्टाम्प की धन राशि 50/-

काशी नरेश गुप्ता

स्टाम्प ला० नं०-110 अवधि - 2016-19

विक्रय स्थल : भैनताली, मुगलसराय, चन्दौली